प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–अम्बेडकर नगर/जालौन/देवरिया/मथुरा एवं उन्नाव।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015–16/7299-5 दिनांक 13.10.2015

विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ज़िला महिला चिकित्सालयों में स्थापित एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के जिला महिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेज में चरणबद्ध तरीके से **"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई"** (SNCU) इकाई की स्थापना कर क्रियाशील किये जा रहे हैं।

इसी क्रम में इस कार्यालय के **पत्र संख्या**–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015–16/2453–5, दिनांक 13.07.2015 के माध्यम से आपके जनपद के महिला चिकित्सालय में **"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई"** (SNCU) की स्थापना किये जाने हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2015–16 की आर0ओ0पी0 में **"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई"** (SNCU) की स्थापना हेतु अवशेष धनराशि, इकाई को क्रियाशील करने हेतु आपरेशनल कास्ट एवं मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि नीचे दी गयी तालिकुनसार जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है। धनराशि प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर ही प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय को स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें।

वित्त पोषण

भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2015–16 में स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाय।

1- **Operational Cost-**

- नीचे दी गयी तालिका के अनुसार FMR Code- A.2.2.1 पर ऑपरेशनल कॉस्ट मद में औषधियॉ, कन्जूमेबिल्स आदि ए0एम0सी0 एवं उपकरणों के अनुरक्षण एवं इकाई को क्रियाशील बनाये रखने हेतु छोटे–मोटे उपकरण की क्रय एवं अन्य आवश्यक सामग्री **एस0एन0सी0यू0 इन्चार्ज की आवश्यकतानुसार** क्रय किये जायें तथा सी0एम0एस0 द्वारा बिना लिखित परामर्श के धनराशि का उपयोग न किया जाये।

2- **Human Resource-**

- **एस0एन0सी0यू0 संविदा बालरोग विशेषज्ञ**–प्रतिइकाई 3 संविदा बालरोग **विशेषज्ञ–एम0डी0–पिडियाट्रिक्स/डी0सी0एच0** के मानदेय हेतु FMR Code- A.8.1.3.5.d पर रू0 65000/– प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु नीचे दी गयी जनपदवार तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
- **एस0एन0सी0यू0 संविदा स्टॉफ नर्स–** मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत स्टाफ नर्स को संविदा पर तैनात किया जायेगा। प्रति इकाई 8 स्टाफ नर्स के मानदेय हेतु FMR Code-

A.8.1.1.2.f पर रू0 18150/- प्रतिमाह की दर से 6 माह के मानदेय हेतु नीचे दी गयी जनपदवार तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

- **एस0एन0सी0यू0 संविदा सफाई कर्मी/वार्ड आया** को आउट सोर्सिगं के माध्यम से रखा जायेगा। प्रति इकाई 4 सफाई कर्मी/वार्ड आया के मानदेय हेतु FMR Code-A.8.1.11.f पर रू0 6,400/- प्रतिमाह की दर से 6 माह के मानदेय हेतु धनराशि नीचे दी गयी जनपदवार तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है।

3- **Carry forward /Spillover from previous year"s sanction for SNCU, NBSU, NBCC- "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" की स्थापना हेतु** आवश्यक छोटी-मोटी मरम्मत हेतु FMR Code-**B.5.6.2** पर प्रति इकाई के अनुसार अधिकतम रू0 4.00 लाख प्रति इकाई के अनुसार नीचे दी गयी जनपदवार तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

SNCU Operational Cost & Contractual HR Funds allocation 2015-16										
S. N.	**Name of Districts**	**operational cost for 6 months**	Pediatrician		Staff Nurse		Cleaner/ Ward Ayah		Carry forward /Spillover from previous year"s sanction for SNCU, NBSU, NBCC	**Total Funds released to District**
			No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount		
			Peadiatrician Honorarium @ Rs.65000/- p.m.	Peadiatrician Honorarium (For 3 months)	Staff Nurse Honorarium @ Rs.18150/- p.m.	Staff Nurse Honorarium (For 6 months)	No. for 6 mths (Apl. 15 -Mar.16)	Honorarium @ Rs. 6400/- p.m.		
FMR Code		A.2.2.1	A.8.1.3.5.d		A.8.1.1.2.f		A.8.1.11.f		B.5.6.2	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Ambedkar Nagar	600000	3	585000	8	871200	4	153600	400000	2609800
2	Jalaun	600000	3	585000	8	871200	4	153600	400000	2609800
3	Deoria	600000	3	585000	8	871200	4	153600	400000	2609800
4	Mathura	600000	3	585000	8	871200	4	153600	400000	2609800
5	Unnao	600000	3	585000	8	871200	4	153600	400000	2609800
Total funds (In Rs.)		3000000	15	2925000	40	4356000	20	768000	2000000	13049000

इस कार्यलय के **पत्र संख्या**-एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015-16/2453-5, दिनांक 13.07.2015 के माध्यम से प्रति इकाई रू0 37.00 लाख के अनुसार धनराशि **"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई"** (SNCU) की स्थापना हेतु उपकरण एवं सामग्री क्रय करने हेतु अवमुक्त की जा चुकी है।

नोटः-

1. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
3. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय के एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।

4. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।

5. धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि Revalidate की गयी है तो उसका समय से उपयोग करने के उपरान्त, मॉग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि धनराशि Unspent के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।

6. इस कार्यालय के पत्र संख्या– एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

मानव संसाधन

1. **प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद स्तर पर मानव संसाधन के चयन हेतु चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दें। परन्तु संविदा पर मानव संसाधन की तैनाती के आदेश सिक न्यूबोर्न केयर इकाई की स्थापना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोपरान्त जारी किये जायें।**

2. **चयन की प्रक्रिया पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार की जाये। संविदा कर्मियों हेतु विज्ञापन प्रादेशिक दैनिक 2 हिन्दी समाचार पत्र एवं 1 अंग्रेजी समाचार में अवश्य दिया जाय। चयन समिति द्वारा संविदा पर चयनित अभ्यर्थियों के तैनाती के आदेश, जनपद में सिक न्यूबोर्न केयर इकाई की स्थापना के उपरान्त ही निर्गत किये जायें इसका उल्लेख विज्ञापन प्रकाशित करने में किया जाये।**

3. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 व्यक्तिगत रूप में जिम्मदार होंगे।

4. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन, जिन्हों ने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, को 4 दिवसीय फेसिलटीबेस्ड न्यूबोर्न केयर (FBNC) प्रशिक्षण तदोपरान्त 12 कार्य दिवसीय Observership-FBNC प्रशिक्षण कलावती सरण चिल्ड्रेन हॉस्पिटल दिल्ली में दिया जाना प्रस्तावित है। यह प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे तो ऐसी स्थित में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।

5. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्टाफ नर्स/चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस में कार्य करें।

जनपदों को एन0आर0एच0एम0 की धनराशि के नियमानुसार व्यय करने के सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त **"ऑपरेशनल गाइड लाइन फॉर फाइनेश्यिल मेनेजमेन्ट"** का पालन करना होगा इसकी प्रति नोडल अधिकारी को प्राप्त कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद की मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 से समन्वय करते हुये 15 दिन के अन्दर धनराशि अवमुक्त करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा निदेशित किया गया है कि ''सिक न्यूबोर्न केयर इकाई'' (SNCUs) हेतु निर्माण/स्थापना का कार्य धनराशि प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, द्वारा सुनिश्चित किया जाये। जिसकी सूचना प्रमाण पत्र सहित महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, को तत्काल उपलब्ध करायें।

इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

05/10/15

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015–16/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,** सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
3. **महानिदेशालय, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशानिर्देश भेजने एवं एस0एन0सी0यू0 की क्रियाशीलता एवं अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
4. **सम्बन्धित ज़िलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. **सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
6. **संयुक्त निदेशक,** आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. **मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका,** ज़िला महिला चिकित्सालय, जनपद–अम्बेडकर नगर, जालौन, देवरिया, मथुरा एवं उन्नाव को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. **सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय,** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
9. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ,** बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–अम्बेडकर नगर/जालौन/देवरिया/मथुरा एवं उन्नाव।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015–16/ दिनांक

विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ज़िला महिला चिकित्सालयों में स्थापित एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के जिला महिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेज में चरणबद्ध तरीके से **"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई"** (SNCU) इकाई की स्थापना कर क्रियाशील किये जा रहे हैं।

इसी क्रम में इस कार्यालय के **पत्र संख्या**–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015–16/2453–5, दिनांक 13.07.2015 के माध्यम से आपके जनपद के महिला चिकित्सालय में **"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई"** (SNCU) की स्थापना किये जाने हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2015–16 की आर0ओ0पी0 में **"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई"** (SNCU) की स्थापना हेतु अवशेष धनराशि, इकाई को क्रियाशील करने हेतु आपरेशनल कास्ट एवं मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि नीचे दी गयी तालिकुनसार जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है। धनराशि प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर ही प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय को स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें।

<u>वित्त पोषण</u>

भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2015–16 में स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाय।

1- **Operational Cost-**

- नीचे दी गयी तालिका के अनुसार FMR Code- A.2.2.1 पर ऑपरेशनल कॉस्ट मद में औषधियॉ, कन्जूमेबिल्स आदि ए0एम0सी0 एवं उपकरणों के अनुरक्षण एवं इकाई को क्रियाशील बनाये रखने हेतु छोटे–मोटे उपकरण की क्रय एवं अन्य आवश्यक सामग्री <u>**एस0एन0सी0यू0 इन्चार्ज की आवश्यकतानुसार**</u> क्रय किये जायें तथा सी0एम0एस0 द्वारा बिना लिखित परामर्श के धनराशि का उपयोग न किया जाये।

2- **Human Resource-**

- **एस0एन0सी0यू0 संविदा बालरोग विशेषज्ञ**–प्रतिइकाई 3 संविदा बालरोग **विशेषज्ञ–एम0डी0–पिडियाट्रिक्स/डी0सी0एच0** के मानदेय हेतु FMR Code- A.8.1.3.5.d पर रू0 65000/– प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु नीचे दी गयी जनपदवार तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
- **एस0एन0सी0यू0 संविदा स्टॉफ नर्स**– मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत स्टाफ नर्स को संविदा पर तैनात किया जायेगा। प्रति इकाई 8 स्टाफ नर्स के मानदेय हेतु FMR Code-

A.8.1.1.2.f पर रू0 18150/– प्रतिमाह की दर से 6 माह के मानदेय हेतु नीचे दी गयी जनपदवार तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

- **एस0एन0सी0यू0 संविदा सफाई कर्मी/वार्ड आया** को आउट सोर्सिगं के माध्यम से रखा जायेगा। प्रति इकाई 4 सफाई कर्मी/वार्ड आया के मानदेय हेतु FMR Code-A.8.1.11.f पर रू0 6,400/– प्रतिमाह की दर से 6 माह के मानदेय हेतु धनराशि नीचे दी गयी जनपदवार तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है।

3- **Carry forward /Spillover from previous year"s sanction for SNCU, NBSU, NBCC- "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" की स्थापना हेतु** आवश्यक छोटी–मोटी मरम्मत हेतु FMR Code-B.5.6.2 पर प्रति इकाई के अनुसार अधिकतम रू0 4.00 लाख प्रति इकाई के अनुसार नीचे दी गयी जनपदवार तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

SNCU Operational Cost & Contractual HR Funds allocation 2015-16										
S. N.	**Name of Districts**	**operational cost for 6 months**	Pediatrician		Staff Nurse		Cleaner/ Ward Ayah		Carry forward /Spillover from previous year"s sanction for SNCU, NBSU, NBCC	**Total Funds released to District**
			No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount		
			Peadiatrician Honorarium @ Rs.65000/- p.m.	Peadiatrician Honorarium (For 3 months)	Staff Nurse Honorarium @ Rs.18150/- p.m.	Staff Nurse Honorarium (For 6 months)	No. for 6 mths (Apl. 15 -Mar.16)	Honorarium @ Rs. 6400/- p.m.		
FMR Code		A.2.2.1	A.8.1.3.5.d		A.8.1.1.2.f		A.8.1.11.f		B.5.6.2	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Ambedkar Nagar	600000	3	585000	8	871200	4	153600	400000	2609800
2	Jalaun	600000	3	585000	8	871200	4	153600	400000	2609800
3	Deoria	600000	3	585000	8	871200	4	153600	400000	2609800
4	Mathura	600000	3	585000	8	871200	4	153600	400000	2609800
5	Unnao	600000	3	585000	8	871200	4	153600	400000	2609800
Total funds (In Rs.)		3000000	15	2925000	40	4356000	20	768000	2000000	13049000

इस कार्यलय के **पत्र संख्या**–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015–16/2453–5, दिनांक 13.07.2015 के माध्यम से प्रति इकाई रू0 37.00 लाख के अनुसार धनराशि **"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई"** (SNCU) की स्थापना हेतु उपकरण एवं सामग्री क्रय करने हेतु अवमुक्त की जा चुकी है।

नोटः–

1. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
3. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय के एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।

4. <u>प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।</u>

5. धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि Revalidate की गयी है तो उसका समय से उपयोग करने के उपरान्त, मॉग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि धनराशि Unspent के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।

6. इस कार्यालय के पत्र संख्या– एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / 2012–13 / लेखा / पी0 एफ0एम0एस0 / 187 / 96–2, दिनांक 08 / 04 / 2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

<u>मानव संसाधन</u>

1. **प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद स्तर पर मानव संसाधन के चयन हेतु चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दें। परन्तु संविदा पर मानव संसाधन की तैनाती के आदेश सिक न्यूबोर्न केयर इकाई की स्थापना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोपरान्त जारी किये जायें।**

2. **चयन की प्रक्रिया पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार की जाये। संविदा कर्मियों हेतु विज्ञापन प्रादेशिक दैनिक 2 हिन्दी समाचार पत्र एवं 1 अंग्रेजी समाचार में अवश्य दिया जाय। चयन समिति द्वारा संविदा पर चयनित अभ्यर्थियों के तैनाती के आदेश, जनपद में सिक न्यूबोर्न केयर इकाई की स्थापना के उपरान्त ही निर्गत किये जायें इसका उल्लेख विज्ञापन प्रकाशित करने में किया जाये।**

3. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 व्यक्तिगत रूप में जिम्मदार होंगे।

4. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन, जिन्हों ने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, को 4 दिवसीय फेसिलटीबेस्ड न्यूबोर्न केयर (FBNC) प्रशिक्षण तदोपरान्त 12 कार्य दिवसीय Observership-FBNC प्रशिक्षण कलावती सरण चिल्ड्रेन हॉस्पिटल दिल्ली में दिया जाना प्रस्तावित है। यह प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे तो ऐसी स्थित में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।

5. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्टाफ नर्स / चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस में कार्य करें।

जनपदों को एन0आर0एच0एम0 की धनराशि के नियमानुसार व्यय करने के सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त <u>**''ऑपरेशनल गाइड लाइन फॉर फाइनेश्यिल मेनेजमेन्ट''**</u> का पालन करना होगा इसकी प्रति नोडल अधिकारी को प्राप्त कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद की मुख्य / प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय / जिला चिकित्सालय नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 से समन्वय करते हुये 15 दिन के अन्दर धनराशि अवमुक्त करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा निदेशित किया गया है कि "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCUs) हेतु निर्माण/स्थापना का कार्य धनराशि प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, द्वारा सुनिश्चित किया जाये। जिसकी सूचना प्रमाण पत्र सहित महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, को तत्काल उपलब्ध करायें।

इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015–16/7299-5(9) दिनांक 13/10/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,** सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
3. **महानिदेशालय, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशानिर्देश भेजने एवं एस0एन0सी0यू0 की क्रियाशीलता एवं अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
4. **सम्बन्धित ज़िलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. **सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
6. **संयुक्त निदेशक,** आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. **मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका,** ज़िला महिला चिकित्सालय, जनपद–अम्बेडकर नगर, जालौन, देवरिया, मथुरा एवं उन्नाव को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. **सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय,** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
9. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ,** बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य